

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 557
दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मात्स्यिकी में संवहनीय पद्धतियां

557. श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वैश्विक मत्स्य उद्योग में भारत का तीसरा स्थान होने के बावजूद, उद्योग में संवहनीय पद्धतियों का बहुत कम पालन किया जाता है;
- (ख) सरकार द्वारा मत्स्य उद्योग में संवहनीय पद्धतियों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और
- (ग) सरकार द्वारा मत्स्य उद्योग में रोजगार प्राप्त लोगों द्वारा संवहनीय पद्धतियों का पालन करने और एमएससी प्रमाणन प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हो?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) से (ग)- वैश्विक मात्स्यिकी में भारत दूसरे स्थान पर है, और भारत में मात्स्यिकी का ध्यान मात्स्यिकी संसाधनों के संवहनीय उपयोग पर केन्द्रित है। राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017 के सभी कार्यों के केंद्रबिंदु में संसाधनों के संवहनीय उपयोग को बनाए रखना प्रस्तावित है। राज्य/केन्द्र शासित सरकारें भी अपने 'समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम' (एम.एफ.आर.ए.) के क्रियान्वयन के द्वारा संवहनीय मात्स्यिकी पद्धतियों को सुनिश्चित कर रही हैं। केन्द्र सरकार और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें, मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, अन्तर्सरकारी संगठन, मात्स्यिकी विश्वविद्यालय व कालेज, अन्य एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक मछुआरों के संगठन/फैडरेशन आदि समय-समय पर कार्यशालायें, बैठकें और अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कि मछुआरों समेत सभी हितधारकों में जागरूकता फैलाई जा सके, तथा उन्हें संवहनीय पद्धतियों का अनुसरण करते हुये गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जागरूक बनाया जा सके।
